CENTRAL SCIENTIFIC INSTRUMENTS ORGANISATION
SECTOR-30, CHANDIGARH-160 030 (INDIA)

BID DOCUMENT

To be Addressed To
Director
Central Scientific Instruments Organisation,
Sector-30, Chandigarh-160 030 (India)

CENTRAL STORES

No. CSIO/4(62)/Stores-2004-05 Dated: 7.4.2008

TERMS & CONDITIONS FOR SALE OF STAFF BUS-TATA MAKE- MODEL 1987-REGISTRATION NO. CH-01G-1720 AT CSIO, SECTOR 30-C, CHANDIGARH-160 020

1.1.0 The tenders should be submitted in <u>Sealed Covers</u>. Late/delayed & tenders received without EMD shall be rejected.

1.2.0 The vehicle is offered for disposal is on 'AS IS WHERE IS & WHAT IS BASIS". Taxes & duties that may be levied by the Government will be extra as applicable.

1.3.0 The purchaser may inspect the above vehicle on any working day between 10.00 AM to 1.00 PM. By prior appointment (with Sh. S.K. Sharma, Section Officer (S&P) Stores Tele: 0172-2651722, 2651728 Ext. 220/435) to satisfy themselves about the condition of the vehicle offered. No complaint whatsoever will be entertained after the tenders are submitted or before or after the vehicle are lifted. No request for inspection after submission of the tender will be accepted.

1.4.0 The Sealed Tenders super scribed "Tender for the sale of Staff Bus-TATA make- Model 1987" on an envelope will be received latest by 23.04.2008 at CSIO till 2.30 PM. The same will be opened on 24th April, 2008 at 3.00 PM in the presence of tenders who wish to be present. The tender on a letter head/plain paper may be addressed to Director, CSIO, sector-30C, Chandigarh-160 020.

1.5.0 The offers given in the valid tenders received on due date and time and accompanied by required amount of Earnest Money will be considered. Negotiation, with the lowest bidders, if need, can be made.

1.6.0 The tender form must accompany the earnest money @ 10% of the ended price by Demand Draft in favour of Director, CSIO, Chandigarh. The tender form submitted without earnest money will not be considered. The Earnest Money of the un-successful bidder will be returned after finalization of the case and approval of the competent authority.

1.7.0 In the event of acceptance of tender, the successful bidder will be required to deposit 25% of accepted amount in the shape of DD/BC in favour of Director, CSIO, Chandigarh immediately, and the balance amount (in the shape of DD/BC, in favour of Director, CSIO, Chandigarh) should be deposited within 5 days in this office, failing which the tender shall be cancelled and deposit of 25% plus Earnest Money will be forfeited.

1.8.0 The vehicle will be delivered only after the receipt of full payment and has to be lifted within 3 days of completion of deal failing which ground rent at the rate of Rs. 200/- per day will be charged.

1.9.0 Tender should be valid for a period of 30 (thirty) days from the date of opening of the tenders.

1.10.0 The person authorized by the bidder will be allowed to take delivery.

1.12.0 The address given in the tender shall be deemed to be the bidder's address and correspondence sent on that address shall be considered to have been delivered to the bidder. No claim will be entertained for the reason of forfeiture of the sum deposited in case the correspondence is returned back undelivered.

1.13.0 The Director, CSIO, Sector-30C, Chandigarh, reserve the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons.

(B.M.Khanna)
Stores & Purchase Officer

Tender Notice for sale of Staff Bus Tata Make, Model 1987

Director, CSIO, Chandigarh invites sealed tenders for sealed for the disposal of Staff Bus-TATA Make, Model 1987, as per following schedule.

Last date & time for submission bid	Date & time of Opening of bid	EMD required (Rs.)	Tender document fee
23.04.2008 2.30 PM	24.04.2008 4.00 PM	10% of the bid price	Rs. 300/- (not to be charged downloaded from website)

Late/delayed/tenders submitted without EMD shall not be accepted. Tender documents, terms and conditions, can be downloaded from our website WWW.CSIO.Gov.in and WWW.CSIO.res.in.

Stores & Purchase Officer

केन्द्रीय भंडार

सं. सीएसआइओ/4(62)/स्टोर –2004-05   दिनांक : 7.4.2008

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, सैक्टर 30, चण्डीगढ़ में टाटा मेक, 1987 मॉडल की स्टाफ बस की बिक्री की निबंधन एवं शर्तें

1.1.0 निविदाएं मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएं। देरी से/विलंबित एवं बिना बयाने के प्राप्त निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगीं।

1.2.0 वाहन "जहां है – जैसे है" के आधार पर बिक्री के लिए है। सरकार द्वारा लिए जाने वाले शुल्क एवं करों का भुगतान अलग से करना होगा।

1.3.0 खरीदकर्ता वाहन की स्थिति के संबंध में अपने संतोष के लिए श्री एस. के. शर्मा, अनुभाग अधिकारी, भंडार एव क्रय, फोन 0172-2651722, 2651728, एक्स. 220/435 से पहले समय लेकर किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 5.00 बजे तक इसे देख सकते हैं। निविदाएं प्रस्तुत करने के बाद अथवा वाहन ले जाने से पूर्व अथवा बाद में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा प्रस्तुत करने के बाद वाहन की जांच के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाए।

1.4.0 मोहरबंद निविदाएं सीएसआइओ में दिनांक 23.04.2008, दोपहर 2.30 बजे तक प्राप्त की जाएंगी। लिफाफे पर "टाटा मेक, 1987 मॉडल की स्टाफ बस की बिक्री हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए। यह निविदाएं दिनांक 24.04.2008 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित होने के इच्छुक निविदाकारों के समक्ष खोली जाएगी। लैटर हैड/सादे कागज पर प्रस्तुत की गई निविदाएं निदेशक, सीएसआइओ, सैक्टर 30, चण्डीगढ़ को संबोधित होनी चाहिए।

1.5.0 वैध निविदा प्रपत्रों पर अपेक्षित बयाने सहित निर्धारित तारीख व समय पर प्राप्त निविदाओं पर ही विचार किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर निम्नतम निविदा मूल्य देने वाले निविदाकर्ता से बात की जा सकती है।

1.6.0 निविदा के साथ बयाने के रूप में अंतिम मूल्य की 10% राशि का निदेशक, केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट सलंग्न होना चाहिए। बयाने के बिना प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जमा की गई राशि मामले के अंतिम रूप से निश्चित होने तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् ही वापिस की जाएगी।

1.7.0 निविदा के स्वीकार होने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता को स्वीकृत राशि का 25% निदेशक, सीएसआइओ, चण्डीगढ़ के पक्ष में आहरित डीडी/बीसी के माध्यम से तत्काल जमा करवाना होगा तथा शेष राशि का भुगतान अगले 5 दिन के भीतर करना होगा। निर्धारित समय में राशि जमा न करवाने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी तथा बयाने सहित जमा करवाई गई 25% राशि भी जब्त कर ली जाएगी।

1.8.0 सफल निविदाकर्ता से पूरी राशि प्राप्त हो जाने पर ही वाहन सौंपा जाएगा तथा वाहन को सौदा होने के 3 दिन के भीतर संगठन से ले जाना होगा अन्यथा रूपये 200/- प्रतिदिन की दर से वाहन खड़ा करने का किराया लिया जाएगा।

1.9.0 *निविदा खोलने के तिथि से 30 दिन के लिए निविदाएं वैध होनी चाहिए।*

1.10.0 *निविदाकर्ता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति वाहन की डिलीवरी ले सकता है।*

1.11.0 *निविदा में दिए गए पते को निविदाकर्ता का पता माना जाएगा तथा इस पते पर किए गए पत्राचार के संबंध में यह माना जाएगा कि वह बोलीकर्ता को प्राप्त हो गया है। यदि किसी स्थिति में कोई पत्र बिना डिलीवर हुए वापिस आ जाता है तथा इसके फलस्वरूप जमा की गई राशि जब्त हो जाती है, तो इस संबंध में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।*

1.12.0 *निदेशक, केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन बिना कारण दिए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं।*

(*बी. एम. खन्ना*)
भंडार एवं क्रय अधिकारी